न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 140/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कविता शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स राजेन्द्र गैस सर्विस, आईओसी अम्बाबाडी जयपुर।
2. श्री गोपाल चौधरी पुत्र श्री गुल्लाराम निवासी रावण गेट गोकुलपुरा दिल्ली बाईपास जयपुर डिलीवरीमैन मैसर्स राजेन्द्र गैस सर्विस जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 19.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जयपुर शहर श्री कविता शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दिनांक 09.11.2012 को मैसर्स राजेन्द्र गैस सर्विस, आईओसी अम्बाबाडी, जयपुर के डम्पिंग पाइन्ट की जांच की गई। दौराने जांच अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित मिले। मौके पर 10 आईओसी के घरेलू गैस सिलेण्डर बिजली के ट्रांसफार्मर से कुछ ही दूरी पर रखे पाये गये, जिससे कभी भी बडा हादसा हो सकता था। मौके पर जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 10 घरेलू गैस सिलेण्डर(आईओसी) जब्त किये गये। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये ना ही इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी द्वारा नोटिस सम्यक रुप से तामील होने के बावजूद जवाब भी पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 19.07.22 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 09.11.2012 को गैस एजेन्सी के डम्पिंग पाइन्ट पर जांच कार्यवाही कर अवैध 10 घरेलू गैस सिलेण्डर

(3)

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

जब्त किये जो कि बिजली के ट्रांसफार्मर से कुछ ही दूरी पर रखे थे। अप्रार्थी ने मौके पर सिलेण्डरों से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष पेश किये। इस प्रकार गैस एजेन्सी एवं हॉकर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण अस्थाई संग्रहण केन्द्र पर जमीन पर ट्रांसफार्मर के पास रखकर राजस्थान पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 3/7 का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 10 घरेलू गैस सिलेण्डर(आईओसी)शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

Court of Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR